उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
19 सी ,तुलसी गंगा काम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226001

सूचना/विज्ञप्ति

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरानी नियमावली से आच्छादित) के मृतक आश्रित के पदों पर भर्ती प्रकिया के अन्तर्गत दिनांक 25–09–2020 को आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर प्रतिभाग न करने वाले अभ्यर्थियों की पुर्ननिर्धारित तिथि 04–11–2020 को शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन

संख्या:पीआरपीबी–एक–1–मृ0आ0(2)2020 दिनांक: अक्टूबर 21, 2020

1– सूचित किया जाता है कि सेवाकाल में दिवंगत कर्मियों के आश्रितों की मृतक आश्रित के अन्तर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (मृतक आश्रित) भर्ती–2019 के अन्तर्गत दिनांक 25–09–2020 को आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर प्रतिभाग न करने वाले उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पद के 01 अनुपस्थित अभ्यर्थियों (सूची संलग्न) की शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 04–11–2020 को प्रातः 08.00 बजे **रिजर्व पुलिस लाइन्स, लखनऊ** में आयोजित की जायेगी।

2– शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु इन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in/ पर दिनांक 01–11–2020 से उपलब्ध होगें। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह प्रवेश पत्र पर अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर इसका अनुपालन सुनिश्चित करेगें।इन निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3– दक्षता मूल्यांकन परीक्षा के अन्तर्गत सभी अभ्यर्थियों से उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर सीधी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रकिया एवं मानकों के अनुरूप शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरूष अभ्यर्थी को 4.8 कि0मी0 की दौड़ 35 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थी को 2.4 कि0मी0 की दौड़ 20 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे, वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। पुर्ननिर्धारित नियत तिथि एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिये अपील स्वीकार नहीं की जायेगी ।

4– संगत नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जायेगी जिसमें जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्साधिकारी सदस्य होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेगें।

5– दक्षता मूल्यांकन परीक्षा उपरान्त बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी–एक–1–मृ0आ0(17)/2019 दिनांकित 11–10–2019 के प्रस्तर–4 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार भर्ती के अगले चरण की कार्यवाही की जायेगी।

अपर सचिव (भर्ती)
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरानी नियमावली) पद हेतु आश्रित अभ्यर्थियों की सूची

क0सं0	रोल नम्बर	मृतक आश्रित का नाम	मृत्यु के समय नियुक्ति का जनपद	आश्रित के मोबाइल नम्बर
1	1810229	अरूण कुमार	गाजियाबाद	8868949901 9997702021